भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 721

जिसका उत्तर 26 जून, 2019 को दिया जाना है।

5 आषाढ़, 1941 (शक)

साइबर हमले

721. डॉ. उमेश जी. जाधव :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत हाल के वर्षों में फिशिंग हमलों/साइबर अपराधों से सर्वाधिक पीड़ित देशों में से एक है;

(ख) यदि हां, तो कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद)

(क) और **(ख)** : प्रौद्योगिकी के नवाचार और साइबर स्पेस के बढ़ते प्रयोग के साथ फिशिंग जैसे साइबर हमलों और पहचान की चोरी की घटनाएं देखी गई है। ऐसे फिशिंग हमले वैश्विक स्तर पर हो रहे है जिनका उद्देश्य प्रयोक्ताओं को ऑनलाइन अपनी व्यक्तिगत सूचना साझा करने के लिए दिगभ्रमित करना है।

भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) द्वारा ट्रेक किए गए और रिपोर्ट की गई सूचना के अनुसार क्रमश: वर्ष 2017, 2018 और 2019 (मई तक) के दौरान फिशिंग सहित कुल 552,454 और 268 घटनाएं देखी गईं।

(ग) : सरकार ने देश में ऐसी साइबर सुरक्षा घटनाओं को रोकने और साइबर संरक्षा में सुधार करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(i) सर्ट-इन, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और अन्य बैंकों के साथ समन्वित रूप से फिशिंग से संबंधित वेबसाइटों का पता लगाने और उन्हें अक्षम बनाने के लिए कार्य कर रहा है।

(ii) सर्ट-इन डिजिटल प्रौद्योगिकियों का सुरक्षित इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए नियमित आधार नवीनतम साइबर खतरों और प्रति उपायों के साथ-साथ अलर्ट परामर्शी निदेश जारी करता है। सर्ट-इन द्वारा प्रयोक्ताओं और संस्थानों को डिजिटल भुगतानों के सुरक्षा संबंधी पहलुओं के बारे में जागरूकता पर केंद्रित 28 परामर्शी निदेश (एडवायजरी) जारी किए हैं।

(iii) प्रयोक्ताओं हेतु अपने डेस्कटॉप, मोबाइल/स्मार्टफोन को सुरक्षित रखने और फिशिंग हमलों से बचाने के लिए सुरक्षा टिप्स प्रकाशित किए गए हैं।

(iv) सरकार ने साइबर स्वच्छता केंद्र (बोटनेट क्लीनिंग और मालवेयर एनालिसिस सेंटर) स्थापित किया है। यह केंद्र मैलीशियस प्रोग्रामों का पता लगाने और उन्हें हटाने के लिए नि:शुल्क टूल उपलब्ध करा रहा है

(v) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) सूचना सुरक्षा जागरूकता सृजित करने हेतु कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। सूचना सुरक्षा के बारे में बच्चों, माता-पिता और सामान्य प्रयोक्ताओं के लिए विशिष्ट किताबों, वीडियो और ऑनलाइन विषय वस्तुओं का विकास किया गया है जिसे www.infosecawareness.in और www.cyberswachhhtakendra.gov.in जैसे ऑनलाइन पोर्टल के जरिए प्रचारित किया जाता है।

******